



Y

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0  
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.  
102/2025

तारीख दायर  
02/04/2025

तारीख फैसला  
07/08/2025

1. प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल जाति मीणा, निवासी ग्राम चक करोल, पोस्ट जगतपुरा, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र रामस्वरूप
2. विशाल पुत्र रामस्वरूप
3. शान्ति देवी पत्नि रामस्वरूप जातियान मीणा, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :- वकील वादी।

दावा बाबत बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय :-

वादी की ओर से एड0 श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 1.6565 है0 स्थित ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा मौके कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 12.06.2025 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर



-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

42


क्रमांक	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
80	प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल हि० 43/66 जाति मीणा सा०चक करोल जगतपुरा तह० सांगानेर खातेदार, नाबा० विशाल पुत्र रामस्वरूप संरक्षक माता शान्ती देवी हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार, शान्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामस्वरूप हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	156	1.6565	बारानी	-
	योग	किता 1	1.6565	बारानी	-

-: प्रस्तावित :-

क्रमांक	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
	प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल हि० पूर्ण जाति मीणा सा० चक करोल जगतपुरा तह० सांगानेर खातेदार।	156/1 156/3	0.2500 0.8292	बारानी बारानी	-
	योग	किता 2	1.0792	-	-
	नाबालिंग विशाल पुत्र रामस्वरूप संरक्षक सरपस्त माता शान्ती देवी हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार, शान्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामस्वरूप हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	156/2	0.5773	बारानी	-
	योग	किता 1	0.5773	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 07/08/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जमवारा उपखण्ड अधिकारी  
 जमवारा मगड

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रभूदयाल

बनाम

सुरेश वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 102/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र शर्मा अधिवकता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

:- वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्र. सं.	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
0	प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल हि० 43/66 जाति मीणा सा०चक करोल जगतपुरा तह० सांगानेर खातेदार, नाबा० विशाल पुत्र रामस्वरूप संरक्षक माता शान्ती देवी हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार, शान्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामस्वरूप हि० 23/198 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	156	1.6565	बारानी	-
	योग	किता 1	1.6565	बारानी	-

:- प्रस्तावित :-

क्र. सं.	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	प्रभूदयाल करोल पुत्र मोहनलाल हि० पूर्ण जाति मीणा सा० चक करोल जगतपुरा तह० सांगानेर खातेदार।	156/1 156/3	0.2500 0.8292	बारानी बारानी	-
	योग	किता 2	1.0792	-	-
2	नाबालिग विशाल पुत्र रामस्वरूप संरक्षक सरपस्त माता शान्ती देवी हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार, शान्ती देवी पत्नि रामस्वरूप हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार, सुरेश पुत्र रामस्वरूप हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	156/2	0.5773	बारानी	-
	योग	किता 1	0.5773	-	-

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ जिला-जयपुर

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 07/08/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारा मण्डल जिला-जयपुर  
जमवारा मण्डल

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारा मण्डल जिला-जयपुर  
जमवारा मण्डल

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0  
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0- 102 / 2025

दायर दिनांक 22.04.2025

प्रभूदयाल करोल

बनाम

सुरेश वगै0


(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काशतकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश


दिनांक 12.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री पुषेन्द्र शर्मा वकील वादी निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खासरा नम्बर 156 रकबा 1.6565है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं मौका कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बारण्डस अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुर्रजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 12 / 06 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ जिला जयपुर  
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा	
मुदई	रूपये	मुदई	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजूह सबूत		स्टाम्प वजूह सबूत	
महन्ताना वकील		महन्ताना वकील	
खर्चा गवहान		खर्चा गवहान	
बबतहजराय हुक्मनामा		बबतहजराय हुक्मनामा	
मुत		मुत	

  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ, जयपुर